

15-	661/नदी सेतु/अयोध्य क्षेत्र/सेतु-3/2021 दिनांक 17.11.2021
16-	650/नदी सेतु/देवीपाटन क्षेत्र/सेतु-3/2021 दिनांक 16.11.2021
17-	1263/प्रा0आगणन-सहारनपुर (सुदरपुर नौरंगपुर किमी0-04)/सेतु-6/21-22 दिनांक 18.11.2021
18-	1264/प्रा0आगणन-सहारनपुर (सुदरपुर नौरंगपुर किमी0-06)/सेतु-6/21-22 दिनांक 18.11.2021
19-	1265/प्रा0आगणन-सहारनपुर (सुदरपुर नौरंगपुर किमी0-18)/सेतु-6/21-22 दिनांक 18.11.2021
20-	662/नदी सेतु/अयोध्य क्षेत्र/सेतु-3/2021 दिनांक 17.11.2021
21	660/नदी सेतु/अयोध्य क्षेत्र/सेतु-3/2021 दिनांक 17.11.2021

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न जनपदों के 21 लघु सेतुओं का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु संलग्न विवरणानुसार कुल लागत 0 2476.52 लाख (रूपये चौबीस करोड़ छियहत्तर लाख बावन हजार मात्र) के सापेक्ष अनुदान सं0-57 से 0 189.10 लाख एवं अनुदान सं0-83 से 0 50.90 लाख अर्थात् कुल रू0 240.00 लाख (रूपये दो करोड़ चालीस लाख मात्र) धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में श्री राज्यपाल संलग्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2/2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मदके लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (6) विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/ दस-2011-17(4)/75 दि0 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए0-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दि0 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री

द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्ति-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।

- (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।
- (10) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2/2528/ दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 के प्रस्तर-4 के अनुसार प्रायोजना का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण सक्षम स्तर से करा लिया गया है।
- (14) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।
- (15) भारत सरकार की कोविड-19 हेतु जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- (16) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/ 2021 दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। वित्त नियंत्रक द्वारा कार्यदायी संस्था को 02-02 माह की आवश्क्तानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करने के उपरांत अगले दो माह के लिये उन्हें आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

3- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्य योजना(सामान्य) के अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-04-सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)-0403-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्यमद एवं अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-20-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य-24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश अनुदान सं0-57 के अंतर्गत वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-8-3493-दस-2021-22, दिनांक 04 जनवरी, 2022 एवं अनुदान सं0-83 के अंतर्गत वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-8-3494-दस-2021-22, दिनांक 04 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 07/2022/1272(1)/23-10-21-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), 30प्र0, प्रयागराज ।
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी ।
- 3- निजी सचिव, मा0 उप मुख्य मंत्री जी ।
- 4 संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
- 7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)@राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
- 8- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, 30प्र0 शासन/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-07/2022/1272/23-10-21-41(सेतु)/2021 दिनांक 05 जनवरी, 2022 का संलग्नक

(धनराशि लाख रु0 में)

क्रम सं	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रु0 में)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनु0-57	अनु0-83	कुल योग %\$9%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अम्बेडकर नगर	जनपद अम्बेडकरनगर में विधानसभा आलापुर के अंतर्गत जनेसरी बुजुर्ग में पिकिया नाले पर 10x4 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	187.66	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
2	अम्बेडकर नगर	जनपद अम्बेडकरनगर के विधानसभा कटेहरी में राजस्व ग्राम फतेपुर बेलाबाग में भदवन नाले पर 2 x 5 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	116.82	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
3	अयोध्या	जनपद अयोध्या में गौरिया नाला परन रामनगर धौरहरा मार्ग पर दानवीर स्थान के पास रामनगर से बन्धा मार्ग पर 10x5x4 मी0 आर0सी0सी0 बाक्स लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	450.40	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
4	अयोध्या	जनपद अयोध्या में ग्राम पंचायत बेतौली से रसूलपुर सम्पर्क मार्ग पर विलुप्त तमसा नदी के जीर्णोद्धार कार्य हेतु 5x4x4 मी0 स्पान की बाँक्स लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	203.38	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
5	अयोध्या	जनपद अयोध्या में दुल्लापुर-उमापुर (अन्य जिला मार्ग) के किमी0-2 में विलुप्त तमसा नदी के जीर्णोद्धार कार्य हेतु 4x3x3 मी0 स्पान की बाँक्स लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	58.44	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
6	अयोध्या	जनपद अयोध्या में बरौली से करौंदी मार्ग पर विलुप्त तमसा नदी के जीर्णोद्धार कार्य हेतु 4x3x3 मी0 स्पान की बाँक्स लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	56.59	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
7	अयोध्या	जनपद अयोध्या में ग्राम पंचायत बिकावल भदावल प्राथमिक विद्यालय के पास विलुप्त तमसा नदी के जीर्णोद्धार कार्य हेतु 4 x4 x4 मी0 स्पान की बाँक्स लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	88.86	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
8	अयोध्या	जनपद अयोध्या में खपरहिया गाँव को जाने वाली इण्टरलाकिंग मार्ग पर विलुप्त तमसा नदी के जीर्णोद्धार कार्य हेतु 4x3x3 मी0 स्पान की बाँक्स लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	58.38	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
9	अयोध्या	जनपद अयोध्या में पक्की रोड से बीबीपुर गाँव को जाने वाली इण्टरलाकिंग मार्ग पर विलुप्त तमसा नदी के जीर्णोद्धार कार्य हेतु 4x3x3 मी0 स्पान की बाँक्स लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	58.55	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
10	अयोध्या	जनपद अयोध्या में मियांपुर से नेवरा मार्ग पर विलुप्त तमसा नदी के जीर्णोद्धार कार्य हेतु 4 x4 x4 मी0 स्पान की बाँक्स लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	87.65	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
11	गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में कुण्डेसर कबीरपुर अवथही लठ्ठीह मार्ग के किमी0-5 में 3x3x3 मी0 स्पान के बाक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	73.45	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
12	गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में कुण्डेसर कबीरपुर अवथही लठ्ठीह मार्ग के किमी0-7 में 3x3x3 मी0 स्पान के बाक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	73.64	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
13	चन्दौली	जनपद चन्दौली में सकलडीहा अमड़ा वाया तुलसी आश्रम मार्ग के किमी0-11 पर आर0सी0सी0 लघु सेतु के निर्माण कार्य	93.47	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0

14	चन्दौली	जनपद चन्दौली में सकलडीहा तुलसी आश्रम से अमावल सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 में आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण कार्य	62.10	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
15	बाराबंकी	जनपद बाराबंकी के वि0स0 फतेहपुर में खैरा बेहटी सम्पर्क मार्ग के किमी0-4 पर स्थित नहर पर 2ग5 मी0 आर0सी0सी0 लघु सेतु के निर्माण कार्य	76.67	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
16	श्रावस्ती	जनपद श्रावस्ती के वि0ख0 इकौना के मनोहरापुर सम्पर्क मार्ग के किमी0-3 में स्थानीय नाले पर 2x3x3 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य	75.68	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
17	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में सुन्दरपुर नौरंगपुर जसमौर मिर्जापुर मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-4 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर लघु सेतु	77.86	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
18	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में सुन्दरपुर नौरंगपुर जसमौर मिर्जापुर मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-6 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर लघु सेतु	78.03	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
19	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में सुन्दरपुर नौरंगपुर जसमौर मिर्जापुर मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-18 में क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर लघु सेतु	182.49	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
20	सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर में लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग पर गभडिया नाला पर पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर दो लेन लघु सेतु के निर्माण कार्य	137.31	9.00	2.43	11.43	लो0नि0वि0
21	सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर में कुडवार ब्लाक के अंतर्गत ग्रामसभा हसनपुर में गभडिया नाले पर 3x4 मी0 स्पान की आर0सी0 सी0 लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य	179.09	9.10	2.30	11.40	लो0नि0वि0
योग -			2476.52	189.10	50.90	240.00	

अवमुक्त धनराशि कुल रू0 240.00 लाख (रूपये दो करोड़ चालीस लाख मात्र)

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।